

पशावती फेरी में ली गई। अपरोक्त किया गया।  
 24/05/2018 शर्मा द्वारा डा. पत्र 0251A R7A में पेश कर निवेदन  
 किया गया कि शर्मा की चक 2051A खाता नं.  
 20/20 ताकादी 10 बीघा में 114 दि. कर राफ्तव  
 रिपोर्ट है। शर्मा द्वारा अप्रार्थी नं. 1 के गारु  
 हर्ष खालेदारी चक 2051A खाता नं. 133/81  
 प. न. 60/311 कि. न. न. 8, 9 के उत्तरी दिशा के  
 पश्चिम से पूर्व। बिस्वा प्रत्येक किजा में ले  
 स्वीकृत करवाने खाबत जरिफे प्रार्थना पत्र  
 निवेदन किया है प्रार्थना पत्र दर्ज कर तलबी  
 शर्मा प्रार्थना जारी की गई। अप्रार्थी नं. 1 द्वारा  
 जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर वांछित राफ्त  
 स्वीकृत किए जाने पर एतराफ नही किया है  
 तहसीलदार हुजूमगढ के पत्रांक डिगंका 14/2/18  
 द्वारा वांछित राफ्त स्वीकृत किए जाने की  
 अनुशंसा की है अतः अन्तर्गत 25/11/2018  
 के प्रापदानान्तर्गत चक 2051A खाता 133/81  
 प. न. 60/311 मु. न. 46 कि. न. न. 8, 9 के उत्तरी  
 दिशा में प्रत्येक किले से पश्चिम से पूर्व में  
 एक-एक बिस्वा खाता स्वीकृत किया  
 जाता है तहसीलदार हुजूमगढ के आदेश  
 है कि किसी प्रकार न्यायालय का स्वगनादेश  
 या वाद निवाद नही है तो R7A 251A  
 (2) के तहत उक्त मंजूर शुका राफते का  
 अंकन खाफ्तव रिपोर्ट में खतो गै. मु. राफते  
 (सिषाय चक) के रूप में किया जाना दुर्विहित  
 करे। पशावती नंवा ले कम की जाका  
 दाखिल करार की जाती है आदेश आफ  
 डिगंका 2/11/18 को खुले न्यायालय में हुगाया  
 गया।

*(Signature)*  
 सहायक कलेक्टर  
 एवं उपखण्डाधिकारी  
 हुजूमगढ

